CIN: L51494DL1984PLC019684 Tel.: 011 40500500, 011-45691047, Fax: 011-41428521

Chamak Holdings Limited

REGD. OFF: 55-B, RAMA ROAD, INDL. AREA, NEW DELHI - 110015
E-mail: chamakholdings@gmail.com, Website: chamakholdings.com

Date: 05/08/2023

The Listing Department BSE Ltd P.J Towers, Dalal Street, Mumbai-400001	**Head- Listing & Compliance** Metropolitian Stock Exchange of India Limited (MCX-SX) 4th Floor, Vibgyor Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400098	**The Listing Départerment** Delhi Stock Exchange Limited 3/1, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

Subject: Submission of Newspaper Publications of Board Meeting to be held on 11/08/2023.

Dear Sir/Madam,

Please find the Enclosed herewith the copy of the Newspaper Publications dated 05th Aug,2023 in Haribhoomi (Hindi Edition) and Financial Express (English Edition) of Notice for Board Meeting to be held on 11/08/2023.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You

For **Chamak Holdings Limited**

Deepti Gupta
Company Secretary & Compliance Officer
M.No. A55551

'जीजीएसआईपीयू में प्रबंधन कोटे की सीट के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार'

महाविद्यालयों द्वारा पहले से भरी गई सीटों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी: हाईकोर्ट

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) में प्रबंधन कोटे की सीट पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए महाविद्यालयों द्वारा प्रबंधन कोटे के तहत पहले से भरी गई सीटों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अदालत ने अपने आदेश के अनुपालन के लिए अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्देश जारी करने का आदेश दिया। खंडपीठ का फैसला जीजीएसआईपीयू से संबद्ध कॉलेज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की अपील पर आया, जिसमें प्रबंधन कोटे की सीट पर नामांकन को विनियमित करने वाले दिल्ली सरकार के परिपत्रों में हस्तक्षेप करने से एकल पीठ के इनकार को चुनौती दी गयी है। परिपत्रों के जरिये प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय सुझाए गये थे, जिनमें प्रबंधन कोटे के तहत उपलब्ध सीट को शाखा-वार और कॉलेज-वार प्रदर्शित करने

के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। इसमें उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ-साथ मेधा सूची आदि का ऑनलाइन प्रकाशन भी आवश्यक किया गया था। अपीलकर्ता ने अदालत को बताया कि ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रबंधन कोटा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पिछले 25 साल से संबंधित अधिनियम के तहत जारी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे प्रबंधन कोटा रिक्तियों को ऑनलाइन मोड से भरने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार, निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी किया जाना है, न कि दिल्ली सरकार द्वारा। अदालत ने कहा कि वह अपीलकर्ता की दलील से सहमत है कि परिपत्र सक्षम प्राधिकारी (दिल्ली के उपराज्यपाल) द्वारा जारी नहीं था। अदालत ने आदेश दिया कि हम 22 सितम्बर 2022 को जारी परिपत्र में अधिसूचित निर्देशों को आंशिक संशोधन के साथ बरकरार रखते हुए वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं कि ऑनलाइन मोड के अलावा, उम्मीदवार प्रबंधन कोटे की सीट के लिए 'ऑफलाइन मोड' में भी आवेदन करने के पात्र होंगे।

दो सप्ताह में अनुपालन के लिए आवश्यक आदेश करें जारी

अदालत ने दिल्ली सरकार और जीजीएसआईपीयू को दो सप्ताह के भीतर अनुपालन के लिए आवश्यक आदेश जारी करने को कहा। अदालत ने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय अपनी-अपनी मेधा सूची ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।

जेएनयू: एबीवीपी ने लाइब्रेरी को बंद करने के फैसले का किया विरोध

नई दिल्ली। जेएनयू प्रशासन ने इतिहास अध्ययन संस्थान के समग्र (सीएचएस) [illegible] पुस्तकालय को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं, इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जेएनयू ने प्रशासन के इस फैसले का विरोध करते हुए छात्रों से इसके विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया है। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन को यह भी सुझाव दिया कि सीएचएस (एचिस्ट्री) लाइब्रेरी का नाम बदलकर [illegible] की [illegible] देते हुए उनके नाम पर करना चाहिए।

एबीवीपी ने कहा कि [illegible] अध्ययन केंद्र खोलने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इतिहास अध्ययन केंद्र का पुस्तकालय बंद करना अनुचित है। एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष उमेश चंद्र अजमीरा और एबीवीपी जेएनयू मंत्री विकास पटेल का कहना है कि हम जेएनयू प्रशासन के सीएचएस लाइब्रेरी को बंद करने के फैसले से बहुत निराश हैं। यह छात्रों और शोधार्थियों के लिए एक बड़ी बाधा होगी।

सिख विरोधी दंगे अदालत ने दी टाइटलर को अग्रिम जमानत

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी।

दिलशाद कॉलोनी की घटना, एक युवक घायल

इंस्टाग्राम पर कमेंट को लेकर दो गुटों में चले चाकू, एक की मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

शाहदरा जिले के सीमापुरी थाना इलाके की दिलशाद कॉलोनी में गुरुवार की रात दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस ने मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि इंस्टा पर किसी लड़की को लेकर किये गये कमेंट के बाद विवाद शुरू हुआ था। पुलिस की तरफ से बताया गया कि 3 अगस्त की रात 9:17 बजे सीमापुरी थाने में एक लड़के को चाकू से घायल होने और जीटीबी अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में दो पीसीआर

कॉल प्राप्त हुई थी। आईओ जीटीबी अस्पताल पहुंचे, जहां एक लड़के को मृत घोषित कर दिया गया और एक अन्य का इलाज चल रहा था। मृतक का नाम हर्षित भारद्वाज पुत्र सागर भारद्वाज निवासी बी-1/25, एस-2, डीएलएफ भोपुरा पता चला। वह 19 साल का था। घायल का नाम शादाब पुत्र रफीक निवासी ई-59ए/64, कलंदर कॉलोनी, सीमापुरी पता चला। वह 22 वर्ष का है। हालत गंभीर होने के चलते वह बयान देने की स्थिति में नहीं है।

शुरुआती जांच में पता चला कि हर्षित के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे भाई का एक अन्य नाबालिग के साथ कुछ अपमानजनक संदेशों को लेकर विवाद हुआ था। 2 अगस्त को भी उनका झगड़ा हुआ था। इसमें हर्षित के छोटे भाई ने दूसरे समुदाय के युवक को थप्पड़ मार दिया था। 3 अगस्त को इसी बात को लेकर इनमें दोबारा झगड़ा हुआ जिसमें चाकूबाजी की गई। पुलिस ने मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल सामने नहीं आने की बात कही है। मामले में आठ आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस ने कही है।

तलवार और डंडे से महिला पर हमला

नई दिल्ली। बदरपुर थाना इलाके के गौतमपुरी में दो गुटों की लड़ाई में एक महिला पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया गया। महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में एक गुट के लोग हाथों में डंडे और नंगी तलवार लिये दिख रहे हैं। उन्होंने दूसरे गुट की महिला को अकेला देखकर पहले पत्थर से हमला किया और फिर डंडे से पीटने लगे।

एम्स स्टेशन का मामला

मेट्रो के आगे कूदकर शख्स ने की आत्महत्या

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

एम्स स्टेशन पर शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक 40 वर्षीय शख्स ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिये एम्स मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक का नाम अमित सिंह बताया गया है। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शख्स को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मृतक की पहचान उसके आधार कार्ड से हुई। वह बिहार का मूल निवासी था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि वह ट्रैक पर कूदा और सिर पटरी पर टकराने से उसकी मौत हो गई। हालांकि जांच अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर हालात सामान्य हैं और फॉरेंसिक व क्राइम टीम ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को भी मेट्रो के नजफगढ़ स्टेशन पर सोमवार को ट्रेन के आगे कूद एक 31 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। यह घटना सुबह 9 बजकर 26 मिनट पर सामने आई थी। मृतक की पहचान नजफगढ़ के प्रेम नगर निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई थी। मनीष कुमार उत्तराखंड के देवप्रयाग में ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) था। वह शादीशुदा था और उसकी एक बेटी है।

चमक होल्डिंग्स लिमिटेड
CIN: L51494DL1984PLC018684
[illegible]
Email: chamakholdings@gmail.com

सूचना

[illegible] 30 जून 2023 [illegible] 11 अगस्त 2023 [illegible] 3.30 बजे [illegible] नई दिल्ली-110015 [illegible]

[illegible] 30 जून 2023 [illegible]

कृते चमक होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता/-
[illegible]
कम्पनी सचिव
व अनुपालन अधिकारी
सद. सं. [illegible]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.08.2023

मुहर्रम: नांगलोई में दंगा भड़काने वाले छह दबोचे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

बाहरी जिला पुलिस ने नांगलोई में मुहर्रम के दिन हुई दंगे की घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दंगे व झड़प में छह पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की थी।

डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि बाहरी जिले की कई टीम ने छह लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया है। इनके नाम साहिल सलमानी (25), असलम कुरेशी (37), समीर (23), साहिल खान (21), अजीम (23) और सोहैब (23) शामिल हैं।

गौरतलब है कि 29 जुलाई की शाम करीब पौने छह बजे नांगलोई इलाके में लगभग आठ से 10 हजार लोगों के साथ कई 'ताजिया' जुलूस निकाले गए थे। रोहतक रोड पर सूरजमल मेट्रो स्टेशन के पास जुलूसों में भाग लेने वाले लोग अनियंत्रित हो गए और मार्ग से भटकने की कोशिश करने लगे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने जनता को भड़काना शुरू कर दिया और बसों पर पथराव करने लगे। पुलिस ने अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था। इसके बाद ताजिया जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक मान्यता के अनुरूप निकाला गया था।

मालीवाल रेप पीड़िता से मिली, पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग को जानकारी मिली कि दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 8 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। लड़की पास के सामुदायिक शौचालय से अपने घर जा रही थी तभी आरोपी ने उसे फुसलाकर साथ ले जाने की कोशिश की। जब लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो वह उसे जबरन पास के पार्क में ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया और भाग गया। बच्ची फटे कपड़ों में अपने घर पहुंची और उसका काफी खून बह रहा था। लड़की की मां उसे तुरंत दिल्ली महिला आयोग की महिला पंचायत लेकर आई। आयोग ने लड़की और उसके परिवार की सहायता की और मामले में एफआईआर करवाई। लड़की फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती है जहां घटना के दौरान उसके निजी अंगों में लगी गंभीर चोटों के कारण उसका ऑपरेशन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर चार सितंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दो मामले

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उन दो मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चार सितंबर को करेगा जिनकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तथा न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सिसोदिया की पत्नी के चिकित्सकीय दस्तावेजों को देखा और कहा कि उनकी हालत 'काफी हद तक स्थिर' है इसलिए पीठ पूर्व उप मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर नियमित जमानत याचिकाओं के साथ ही गौर करेगी। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित दो मामलों में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री एवं आबकारी विभाग का मंत्री होने के नाते, वह एक 'हाई-प्रोफाइल' व्यक्ति हैं, जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अदालत ने तीन जुलाई को आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ आरोप 'बहुत गंभीर प्रकृति' के हैं।

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

FSO/SW/283

[illegible]

दिनांक : 04.08.2023

विनय कुमार सैनी
एडवोकेट,
द्वितीय तल, [illegible] सैक्टर-14,
गुरुग्राम - 122001
Mobile: 9818233687
E-mail : [illegible]@yahoo.com

विदेश भेजने वाले रैकेट में शामिल एजेंट गिरफ्तार

एक यात्री को भी आईजीआई पुलिस ने पकड़ा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डा पुलिस ने एक यात्री और एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। यात्री का नाम यमुना नगर, हरियाणा निवासी आकाश कुमार (22) और दलाल मोहाली, पंजाब निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खी (43) है।

सुक्खी लोगों को अवैध रूप से मैक्सिको के रास्ते यूएस भेजने वाले रैकेट का हिस्सा है। डीसीपी देवेश कुमार महला के अनुसार आईजीआई पुलिस एक माह के

भीतर आठ मामलों में 10 एजेंटों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी इमीग्रेशन फ्रॉड में शामिल थे। इसके अलावा इस साल 31 जुलाई तक 192 मामलों में कुल 246 दलालों को पकड़ा जा चुका है। इनके 152 वाहन भी जब्त किये गये। गत वर्ष इस अवधि तक 138 केस दर्ज हुये थे और 202 दलाल पकड़े गये थे। इस केस में पहले आकाश नामक यात्री को गिरफ्तार किया गया था। यह दुबई से लौटा और टर्मिनल 3 पर इमीग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान उसके पासपोर्ट पर दो फर्जी यूक्रेनियन इमीग्रेशन स्टैंप लगी मिली। इसकी निशानदेही पर एजेंट को तकरीबन 132 किमी तक पीछा कर करनाल, हरियाणा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सुखविंदर ने बताया कि उसी आकाश को विदेश भेजा था। सुक्खी ने बताया कि उसने एक अन्य दलाल की मदद से यात्री को मैक्सिको के रास्ते से यूएसए भेजना था। सुक्खी का काम इमीग्रेशन अधिकारियों को चकमा देकर यात्रियों को अपने साथ विभिन्न देशों में ले जाना था। आकाश को भेजने के लिये 32 लाख रुपए दलालों ने वसूले थे। एजेंट के पास से उसका मोबाइल और पासपोर्ट जब्त किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह यात्री के साथ भारत से मलेशिया, मालदीव और दुबई के रास्ते बाकू, अजरबैजान पहुंचा था।

आईएसएफ लिमिटेड
[illegible] नई दिल्ली-110077
CIN NO : L74899DL1988PLC073648 [illegible] Phone no 011-[illegible]

30 जून 2023 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2023	समाप्त वर्ष 31.03.2023	समाप्त तिमाही 30.06.2022
प्रचालनों से कुल आय	50.73	177.00	48.59
कर के बाद साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ	1.19	0.72	22.38
कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	1.19	0.72	22.38
इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्येक मूल्य रु. 1/- प्रत्येक)	95000000	95000000	95000000
पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर रिज़र्व (31.03.2023)		486.85	
अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) रु. 1/- प्रत्येक के (वार्षिकृत नहीं)	0.0013	0.0008	0.0236
अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) रु. 1/- प्रत्येक के (वार्षिकृत नहीं)	0.0013	0.0008	0.0236

टिप्पणी : [illegible] www.isflimited.in पर उपलब्ध है।

कृते आईएसएफ लिमिटेड
हस्ता./-
(विशाल [illegible])
पूर्ण कालिक निदेशक
डीआईएन-[illegible]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.08.2023

जापानी मंत्री ओगुरा ने मेट्रो संग्रहालय का किया अवलोकन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

जापान सरकार के [illegible] मंत्री [illegible] ओगुरा ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो का दौरा किया। प्रस्तुति के माध्यम से उन्हें दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने केंद्रीय सचिवालय से [illegible] बाजार मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा भी की और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर बने मेट्रो संग्रहालय का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मंत्री ओगुरा के अलावा भारत में जापान के राजदूत महामहिम हिरोशी सुजुकी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम

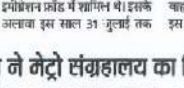

के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार, अनिल कुमार जैन व डीएमआरसी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के संयुक्त महाप्रबंधक [illegible] सहित अन्य मौजूद थे। बता दें कि जापान के साथ भारत के संबंध लंबे समय से सुदृढ़ रहे हैं। जापान के सहयोग से दिल्ली मेट्रो के प्रथम चरण का कार्य शुरू हुआ था। यही कारण है कि दिल्ली मेट्रो परियोजना को भारत-जापान के आपसी सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। जापान सरकार (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) ने शुरू से ही दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया है और परियोजना के चरण-चार को भी वित्त पोषित कर रही है। समय समय पर जापान से आने वाले विभिन्न राजनीतिज्ञ, राजनयिक व अन्य हस्तियां दिल्ली मेट्रो की यात्रा भी करती रही हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं।

हरियाणा सरकार **निविदा सूचना**

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना विवरण का नाम	खुलने की तिथि व ई-बोली की तिथि (तक)	अनु. ई.एम.डी. (लाखम) रु. में	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाइट	संपर्क अधिकारी/सम्पर्क विवरण/ई-मेल
1	एचवीपीएनएल	33 केवी [illegible] 132 केवी [illegible] 33 केवी [illegible] 1x40/50 एमवीए 132/33 केवी [illegible] 1x40/50 एमवीए [illegible] 1x10/15 एमवीए [illegible] 2x16/20 एमवीए 132/11 केवी [illegible] 132 केवी [illegible] (विस्तृत शर्तें)।	03.08.2023 09.08.2023	37.75 लाख	www.hvpn.org.in	0172-2583788 pro@hvpn.org.in
2	एचवीपीएनएल	132 केवी [illegible] 33 केवी [illegible] 33 केवी [illegible] 2 [illegible] 33 केवी [illegible] 20/25 एमवीए (132/33 केवी) [illegible] (विस्तृत शर्तें)।	03.08.2023 09.08.2023	33.11 लाख	www.hvpn.org.in	0172-2583788 pro@hvpn.org.in
3	एचवीपीएनएल	[illegible] की अधिप्राप्ति।	27.07.2023 28.08.2023	ईएमडी 39686/-	www.hvpn.org.in	0172-2583788 pro@hvpn.org.in
4	एचवीपीएनएल	[illegible] की अधिप्राप्ति।	27.07.2023 28.08.2023	ईएमडी 16118/-	www.hvpn.org.in	0172-2583788 pro@hvpn.org.in
5	एचवीपीएनएल	[illegible] की अधिप्राप्ति।	27.07.2023 28.08.2023	ईएमडी 16000/-	www.hvpn.org.in	0172-2583788 pro@hvpn.org.in
6	एचवीपीएनएल	[illegible] की अधिप्राप्ति।	27.07.2023 28.08.2023	ईएमडी 2.30 लाख	www.hvpn.org.in	0172-2583788 pro@hvpn.org.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद सिरा. सं.-13/2024/120/19961/1/88/7 दि. 04.08.23

ARAVALI SECURITIES AND FINANCE LIMITED

CIN: L67120HR1980PLC039125

Office: Plot No. 136, Ground Floor, Rider House, Sector-44, Gurgaon, Haryana-122003

Ph. 0124-4284578,

E-mail: info@aravalisecurities.com

Website: www.aravalisecurities.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29, 33, 47 and any other regulation, if applicable, of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The meeting of the Board of Directors of Aravali Securities and Finance Limited will be held on Saturday, 12th day of August, 2023, at 3:00 p.m. at its Registered Office at Plot No.-136, Ground Floor, Rider House, Sector-44, Gurgaon-122003 to inter alia, consider and approve, the un-audited financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2023.

For Aravali Securities and Finance Limited

Sd/-

Place : Gurgaon Ruchi Shrivastava

Date : 04.08.2023 Company Secretary

CHAMAK HOLDINGS LIMITED

CIN: L51494DL1984PLC019684

Reg: 55-B, RAMA ROAD, INDUSTRIAL AREA NEW DELHI DL 110015 IN

Email: chamakholdings@gmail.com

NOTICE

This is to bring to your notice that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 11th day of Aug, 2023 at 3:30 at 1/1 Kirti Nagar, Main Road, New Delhi-110015, to inter alia, consider and Approve Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2023.

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company is already closed till the expiry of 48 hours after the declaration of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2023.

For Chamak Holdings Limited

Sd/-

Deepti Gupta

Company Secretary

Place: New Delhi & Compliance Officer

Date: 04.08.2023 M. No. A55551

"IMP

Whilst car
acceptanc
copy, it is r
its conte
Express (P
held resp
contents,
damage in
transactior
associatio
advertising
or Publica
recomme
make ne
before ser
entering i
with adve
acting on
any mann

Form No. 3

[See Regulation-15 (1)(a)]/16(3)

COVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

oor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh

onal space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/1325/2020

ection (4) of section 19 of the Act, read with ,sub-rule (2A) of Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No.: 17954

KARNATAKA BANK LIMITED

VS

S JAI JAGDAMBA TRADING COMPANY....

A TRADING COMPANY....
MAR GOEL
RAIN MARKET, ROHTAK-124001 2ND ADDRESS : HOUSE
NTA COLONY, ROHTAK 124001 Rohtak ,HARYANA
AR GOEL
EL R/O HOUSE NO 323 WARD NO 35 JANTA COLONY
RYANA
AR GOEL
GOEL R/O HOUSE NO 323 WARD NO 35 JANTA COLONY
RYANA

GOEL R/O HOUSE NO 323 WARD NO 35 JANTA COLONY
RYANA

GOEL R/O HOUSE NO 323 WARD NO 35 JANTA COLONY
RYANA

SUMMONS

020 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on

Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said:
n 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of
ication along with copies of documents etc.- annexed).
section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are

in thirty days of the service of summons as to why relief prayed
anted;
ars of properties or assets other than properties and assets
licant under serial number 3A of the original application;
rom dealing with or disposing of secured assets or such other
es disclosed under serial number 3A of the original application,
d disposal of the application for attachment of properties;
er by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary
ss any of the assets over which security interest is created and/
properties specified or disclosed under serial number 3A of the
without the prior approval of the Tribunal;
to account for the sale proceeds realised by sale of secured
sets and properties in the ordinary course of business and
proceeds in the account maintained with the bank or financial
security interest over such assets.
file the written statement with a copy thereof furnished to the
before Registrar on 11/08/2023 at 10:30A.M. failing which the
d and decided in your absence.
and the seal or this Tribunal on this date:25/05/2023.

Sd/-

DRT-II, Chandigarh

BAJAJ HOUSING FINANCE LI

BAJAJ FINSERV

CORPORATE OFFICE: Cerebrum IT Park B2 Building 5th floor, Kalyani Nag
411014, **Branch Office:** 14th Floor Agarwal Metro Heights Netaji Subhash Palac
110034

Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Housing Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrow
failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued the
against Property advanced to them by Bajaj Housing Finance Limited and as a consequence the loan(s) have become Non P
notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
rules there-to, on their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrow
intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time

Loan Account No./Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/Guarantor(s) & Addresses	Address of the Secured/Mortgaged Immovable Asset / Property to be enforced
Branch : DELHI **(LAN No. H401ECN0365411, and H401HLP0202323)** **1. HIRA SINGH BISHT (Borrower)** **At:** E-605, Express Zenith, Sector-77, Noida, Gautam Buddha Nagar, Noida, Gautam Buddha Nagar-201301 **2. RADHA BISHT (Co-Borrower)** **At:** 39 ,panchmahal Awas ,plot No-47, IP Extension, Patparganj, Shakarpur, Delhi-110092	**All That Piece And Parcel Of The Non-agricult Property Described As:** Shop No 25, Ground Floor E No1,sector1, Panchasheel, Well Bazar, Plot No Gh6, Cros Republic, Dundahera, Ghaziabad, Uttarpradesh- 201 East : Other Property, West : Entry, North : Shop No South : Shop 26

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers G
make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication
(without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Housing Finance Limited) further step
the Secured Assets/ mortgaged property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securit
of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002.
The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentio
Bajaj Housing Finance Limited has the charge.

Date: 05/08/2023 Place:- DELHI/NCR **Authorized Officer Bajaj Hou**

muthoot HOUSING FINANCE

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMP

Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvan
CIN NO – U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Par
Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517,Authorised
Contact Person: - Govind Ram Balram Sharma - 9212443181, Naveen Chaudh

PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPER

Sale of Immovable Assets Under Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enfo

In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets &Enforcement of Se
Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of u
"Secured Asset") and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below mentioned customer
has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse"
in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final paym

Sr. No.	Name of Borrower/s & LAN	Description of property	
1.	LAN No.: 15100071489 Amit Kumar Aggarwal Sudesh Aggarwal Deepika Aggarwal	ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING FLAT NO – F 3, THIRD FLOOR BUILT UP ON PLOT NO 184, KHASRA NO – 1553 SITUATED AT KAILASH PURAM - II IN VILLAGE RAISPUR, PARGANA - DASNA, TEHSIL & DISTT - GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201002, ADMEASURING 87.79 SQUARE METER. BOUNDARY OF PLOT ARE:- EAST :- OTHER PLOT, WEST :- 22 FEET WIDE ROAD, NORTH :- PLOT NO - 185, SOUTH :- PLOT NO - 183.	Co Pos 25-
2.	LAN No.: 15100074546 Manoj Sharma Sudha Sharma	HOUSE NO B 254, JAHNDAPUR PARGAN LONI, UTTAR PRADESH, GHAZIABAD, 201010, INDIA.	Co Po 22-
	Kishan	PLOT NO 207, KH NO 427 BLOCK E, SANGAM VIHAR, NAND GRAM, UTTAR	C

on of Financial Express a Public Announcement (FORM A)
idation of Elite Realbuild Private Limited was published.
contained certain inaccuracies which are being rectified
ement The revised FORM A is published below.

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
y Liquidation Process) Regulations, 2017)

ENTION OF THE STAKEHOLDERS OF REALBUILD PRIVATE LIMITED

Person	ELITE REALBUILD PRIVATE LIMITED
on of	16 January 2014